तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह जोधा बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़ शहर)** सू.अ.अपील संख्या 39/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07–06–24	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22/01/2024 में कार्यालय तहसील पीपाड शहर का वर्ष 2016–17 का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट 1 के नियम 189 (2) के अनुसार टीए बिल रजिस्टर प्रपत्र जीए 98 की प्रमाणिपत छाया प्रतियां वं अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रा.)	